अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 110–58/2011–12

गुलसवा – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलकर्त्ता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश दिनांक 19.08.2011 अन्दर वाद संख्या 48/2011–12 में पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 110/2011–12 दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त ऑगनबाड़ी अपीलवाद बाल विकास परियोजना, महिषी अन्तर्गत राजनपुर पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र तिरासी टोला, केन्द्र संख्या–128 से संबंधित है ।

वाद पुकारा गया तत्पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद में संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 11.08.2011 को स्मिता कुमारी महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना, महिषी द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र तिरासी टोला, केन्द्र संख्या– 128 पंचायत– राजनपुर, बाल विकास परियोजना , महिषी का निरीक्षण किया गया। ऑगनबाड़ी केन्द्र के जॉच के कम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ /त्रुटियॉ पायी गई :–

1. ऑगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका एवं सहायिका अनुपस्थित थी ।
2. सेविका कभी केन्द्र पर नहीं आती है ।
3. केन्द्र पर बच्चे नहीं थे
4. सेविका द्वारा टी0एच0आर0 वितरण में अनियमितता की जाती है ।

निरीक्षी पदाधिकारी श्रीमती स्मिती कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना महिषी के द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र तिरासी टोला, केन्द्र संख्या–128 के जॉच क्रम में केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता/त्रुटियों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 832–1 दिनांक 13.09.2011 द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती गुलसवा को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 18.08.11 के 11.00 बजे पूर्वाहन् में निम्न न्यायालय, सहरसा में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ।

दिनांक 18.08.2011 को निम्न न्यायालय में सुनवाई की गई । सुनवाई के क्रम में ऑगनबाड़ी सेविका अनुपस्थित थी तथा उनके द्वारा स्पष्टीकरण भी निम्न न्यायलय में समर्पित नहीं किया । निम्न न्यायालय में अपीलार्थी पर लगाए गए आरोप पर सुनवाई कर उनके विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया ।

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद के सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 832–1 दिनांक 13.08.2011 द्वारा जो नोटिश निर्गत किया गया वह अपीलार्थी को दिनांक 20.08.2011 को तामिला कराया गया जिसके कारण ससमय अपीलार्थी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर सकी तथा सुनवाई की तिथि 18.08.2011 को उपस्थित नहीं हो सकी । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते है कि जॉच पदाधिकारी, श्रीमती स्मिती कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना महिषी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में अंकित है कि उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र की जॉच 11.40 बजे पूर्वाहन् में की गयी जो के संचालन अवधि के बाद जॉच की गई थी जिसके कारण बच्चे एवं अपीलार्थी केन्द्र पर नहीं पायी गई थी ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी पर लगाए गए तृतीय एवं चतुर्थ आरोप पर कथन करते हैं कि लोगों के बयान के आधार पर आरोप लगायी गई है जो बिल्कुल निराधार है । विभागीय नियमानुसार निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र के जॉच के क्रम में 05 पंजीकृत लाभुकों का लिखित बयान लिया जाना आवश्यक है, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है । टी0एच0आर0 पंजी की बिना जॉच किए टी0एच0आर0 वितरण में अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित करना त्रुटिपूर्ण एवं निराधार हैं । विद्वान आधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्र का संचालन नियमित रूप से की जाती रही है । एवं टी0एच0आर0 का वितरण सभी लाभुकों के बीच ससमय वितरित की जाती रही है । पोषक क्षेत्र के लाभुक ऑगनबाड़ी सेविका के कार्य–कलाप से संतुष्ट थे तथा उनके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यरत अवधि में कोई शिकायत नहीं की गई है । अतएव अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी को ऑगनबाड़ी सेविका पद पर उक्त वर्णित केन्द्र में पुनः बहाल करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता कथन करते हैं कि उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के क्रम में ऑगनबाड़ी सेविका केन्द्र पर नहीं पाये जाने पर निरीक्षी पदाधिकारी श्रीमती स्मिता कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, महिषी ऑगनबाड़ी सेविका के घर पर जाकर मिलने का प्रयास किया गया परन्तु सेविका द्वारा निरीक्षी पदाधिकारी से मिलने से इन्कार

किया गया। ऑगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण के क्रम में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण –सह–निरीक्षी पदाधिसकारी से ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा नहीं मिलना यह एक घोर अनुशासनहीनता एवं शिष्टाचार का उल्लंघन माना जा सकता है । सेविका द्वारा केन्द्र की पंजी का निरीक्षण निरीक्षी पदाधिकारी से नहीं करवाना अपीलार्थी के मनमाना व्यवहार एवं लापरवाही को प्रदर्शित करता हैं। साथ ही सेविका के पति द्वारा पोषक क्षेत्र के लोगों के सामने निरीक्षी पदाधिकारी को धमकी दिया जाना यह एक गंभीर मामला है अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश सही एवं युक्तिसंगत है इसे सम्पुष्ट किया जा सकता है ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना । अभिलेख में रक्षित सभी कागजातों को सुक्ष्म अवलोकन किया ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनकर एवं अभिलेखी साक्ष्यों एवं तथ्यों के अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि निम्न न्यायालय द्वारा अन्दर वाद संख्या 48/2011–12 में दिनांक 19.08.2011 को पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है । इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश को सम्पुष्ट किया जाता है । अपीलवाद अस्वीकृत । इसी के साथ अपीलवाद निस्तारित किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

26/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

26/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।